भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2229
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार नीति

2229. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आर्थिक विकास की तुलना में रोजगार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और रोजगार सृजन में खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय रोजगार नीति को गति देने का निर्णय लिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धि हासिल हुई है;
(घ) क्या सरकार देश में वर्तमान रोजगार की स्थिति को देखते हुए व्यापक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने में असफल हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का उपलब्ध सीमा तक कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 में प्रकाशित सकल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर-प्रतिशत में) नीचे दी गई हैः

वर्ष	कामगार जनसंख्या अनुपात	सकल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर
2017-18	46.8	7.1
2018-19	47.3	6.1
2019-20	50.9	4.2

(ख) से (ङ): सरकार ने 29 केंद्रीय कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, समामेलन एवं युक्तियुक्त बनाकर चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 को अधिसूचित किया है। श्रम कानूनों का संहिताकरण रोजगार चाहने वालो, कामगारों एवं नियोक्ताओं की आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने हेतु एक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। श्रम संहिताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को महसूस करते हुए मार्ग प्रदान करेगा।

*****